

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/8010

दिनांक - 29/08/2025

प्रार्थी
1 आम्बाराम पुत्र धुडाराम
जाति जाट निवासी बेरड
गोमानगर तहसील बाड़मेर
शहर जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण
1 केसराराम 2 चैनाराम 3 राणाराम 4 राजुराम
पिसरान जोराराम 5 तिलाराम पुत्र करनाराम
जाति जाट निवासी बेरड गोमाराम नगर 6
अमराराम पुत्र विरमाराम 7 अनाराम पुत्र
गिरधारीराम 8 चैनाराम पुत्र वीरमाराम 9
चणनाराम पुत्र गिराधारीराम जाति मेगवाल
निवासी वीर तेजाजी नगर तहसील बाड़मेर
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-130/2025

दिनांक- 11/08/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बेरड गोमाराम नगर हल्का दुदाबेरी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 802/599 रकबा 0.1619 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(यशार्थ शेखर)


उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 29/08/2025

क्रमांक :- रीडर/2025/ 8011-14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी दुदाबेरी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी आम्बाराम पुत्र धुडाराम जाति जाट निवासी बेरड गोमारानगर तहसील बाड़मेर शहर जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण केसराराम पुत्र जोराराम वगैराह जाति जाट निवासी बेरड गोमारानगर तहसील बाड़मेर शहर जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

